परिशिष्ट - एक

(4)

संचालनालय महिला एवं बाल विकास
"विजयाराजे वात्सल्य भवन"
28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल(म0प्र0)—462 011
फोनः 2550928, फैक्सः 2550912,
Email commwcd@mp.nic.in, Website: www.mpwcd.org

क्रमांक / मबावि / 11 / आईसीडीएस / 1533 भोपाल,दिनांक 11 / 8 / 2011

प्रति,

1 संभागीय संयुक्त संचालक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त संभाग,म.प्र.

2 जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला – समस्त,
मध्यप्रदेश.

3 परियोजना अधिकारी,
समस्त–एकीकृत बाल विकास परियोजना,
मध्यप्रदेश.

विषयः–आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं को आयु सम्बंधी प्रमाण पत्र / चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आयु सीमा निर्धारित कर सेवा निवृत्त करने बाबत् ।

संदर्भः–माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर(मप्र) के आदेश कमांक 13320 of 2009(S) दिनांक 4 / 3 / 2010

2 संचालनालय का पत्र क्रमांक 2401 / दिनांक 26 / 3 / 2010,

....

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 10 / 7 / 2007 द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद पर अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त निर्देशों द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष को विभिन्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका यूनियनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्ड पीठ में Challenge किया गया। याचिका कमांक 13320 of 2009 (S) दिनांक 4 / 3 / 2010 में पारित आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंड पीठ द्वारा विभागीय निर्देश दिनांक 10.07.2007 को यथावत मान्य करते हुये याचिका निरस्त की गयी ।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

629

आपके द्वारा प्रेषित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की आयु संबंधी जानकारी की समीक्षा में पाया गया है कि काफी अधिक संख्या में 60 वर्ष से अधिक आयु वाली आगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका वर्तमान में कार्यरत है । माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश दिनांक 04.03.2010 के परिपेक्ष्य में संचालनालय के आदेश दिनांक 26.03.2010 को निरस्त करते हुए, आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिका को जिनके आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा शेष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को जिनके पास आयु के प्रमाण सम्बंधी दस्तावेज उपलब्ध नही हो, उनकी आयु का निर्धारण जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर करते हुए उनको तदनुसार कार्य से पृथक किया जावें ।

(अनुपम राजन)
संचालक,
महिला एवं बाल विकास,
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/मबावि/11/आईसीडीएस/1534 भोपाल,दिनांक 11/8/2011
प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय विभागीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग,वल्लभ भवन मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3 कलेक्टर, जिला–समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संचालक,
महिला एवं बाल विकास,म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - दो

परिशिष्ट "अ" दो

कार्यालय कलेक्टर (एकीकृत बाल विकास सेवा) जिला–धार (म.प्र.)

विधान सभा प्रश्न कमांक 4024 तारांकित

धार जिले में विधान सभा क्षेत्र कुक्षी के अंतर्गत 03 परियोजनाएँ कुक्षी, डही, एवं निसरपुर संचालित है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई, जो इस प्रकार है–

क0	विधानसभा कुक्षी अन्तर्गत आने वाली परियोजना का नाम	कुल सेवानिवृत्त		वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।									
				2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
		आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आंगनवाडी सहायिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कुक्षी	1	6	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1	6
2	निसरपुर	2	3	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	2	3
3	डही	4	25	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	4	25

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

जिला कार्यकम अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा
जिला –धार (म0प्र0)